चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कामता प्रसाद निषाद पुत्र स्व0 पंचा निषाद निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ
2. आरक्षी शुभम पाण्डेय

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा-गर्दी करने वाले अभियुक्त सुंदरम मिश्रा पुत्र रामू प्रसाद निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनाँक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में सर्विलांस सेल में नियुक्त मुख्य आरक्षी श्री जितेन्द्र कुमार कुशवाहा को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस सेवा में सराहनीय योगदान के लिये पुलिस महानिदेशक का प्रसंशा-चिन्ह (सिल्वर मेडल) लगाकर अलंकृत किया गया। इस दौरान स्वाट/सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक श्री एम.पी त्रिपाठी सहित समस्त स्वाट/सर्विलांस टीम, प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री विजय सिंह, पीआओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुख्य आरक्षी श्री जितेन्द्र कुमार कुशवाहा सहित उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण का मुह मीठा कराया गया। मुख्य आरक्षी श्री जितेन्द्र कुमार को उनकी 13 वर्ष की सेवा के दौरान उनके द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के सराहनीय कार्यों के लिये अब तक 56 नगद पुरुस्कार एवं 03 उत्तम प्रविष्टियां प्रदान की गयी हैं। महोदय द्वारा मुख्य आरक्षी श्री जितेन्द्र कुमार कुशवाहा से कहा गया कि इसी प्रकार मेहनत एवं लगन से अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे एवं चित्रकूट पुलिस का नाम रोशन करते रहें।

(6). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री राज कमल के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये पीड़ित के क्रेडिट कार्ड की KYC अपडेट कराने के नाम से ठगे गये 75 हजार रुपये वापस कराये गये।

उल्लेखनीय है कि थाना मारकुण्डी क्षेत्रान्तर्गत आवेदक श्री अनूप कुमार तिवारी ने साइबर हेल्प लाइन 1930 पर शिकायत की थी कि Indusind Credit Card APK फाइल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड की KYC अपडेट कराने के नाम पर उससे 75 हजार रुपये की ठगी की गयी है। इस शिकायत का संज्ञान लेकर पुलिस कार्यालय स्थित साइबर सेल द्वारा बैंक/मर्चेंट से शीघ्र समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में पूरी धनराशि 75 हजार रुपये वापस करा दिया गया है।

पीड़ित द्वारा अपनी सम्पूर्ण धनराशि वापस पाकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट व साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार का आभार व्यक्त कर सराहना व्यक्त करते हुये धन्यवाद-पत्र दिया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संजय उपाध्याय पुत्र स्व0 शिवशरण उपाध्याय निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

01 किलो 300 ग्राम गांजा

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय
3. आरक्षी श्री महेन्द्र सिंह

(8). दिनांक 18.02.24 को जनपद चित्रकूट में आयोजित हुयी पुलिस भर्ती परीक्षा में पालेश्वरनाथ इण्टर कालेज पहाड़ी सेन्टर पर प्रथम पाली में अनुज कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी तरौल नारायणपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ने अपने स्थान पर रितेश

पुत्र सुनील यादव निवासी माधवपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना, (बिहार) परीक्षा परीक्षा देने हेतु बैठाया था। फर्जी अभ्यर्थी रितेश का फेस स्कैनिंग में आशंका होने पर परीक्षा समाप्ति के बाद रितेश उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूंछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। रितेश के कथन एवं शिनाख्त के आधार पर परीक्षा केन्द्र के बाहर इस घटना के षडयंत्र में शामिल करन कुमार पुत्र कुशेश्वर लाल निवासी नयाटोला माधवपुर थाना बख्तियार जनपद पटना, बिहार को भी गिरफ्तार किया गया था, दोनों के पास से फर्जी पहचान-पत्र बरामद हुआ था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 26/2024 धारा 419/420/467/468/471/120(बी) भादवि0 व 6/10 उ0प्र0 परीक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मूल अभ्यर्थी अनुज कुमार उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम को लगाया गया था, पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 19.02.2024 को प्रकरण उपरोक्त से सम्बन्धित मूल अभ्यर्थी अनुज कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अनुज कुमार पुत्र मुन्नीलाल निवासी तरौल नारायणपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़

बरामदगीः-

1. फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश-पत्र व अन्य कागजात

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध थाना पहाड़ी श्री शम्भू दयाल मौर्य
2. आरक्षी जयप्रकाश
3. आरक्षी हरीशरण

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। महोदय द्वारा इस गोष्ठी में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा वर्ष 2023 में सबसे अधिक मुकदमों एवं सबसे अधिक व्यक्तियों को आजीवन कारावास करने वाले पैरोकारों एवं कोर्ट मोहर्रिरों को उत्सावर्धन हेतु 1000-1000/- रूपये की नगद पुरूस्कार एवं प्रशस्ति – पत्र वितरण दिया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर एवं पैरोकारों को दस्तावेजों को सुरक्षित रखने, ले जाने व ले आने के लिए बैग व फाइल कवर का वितरण किया गया तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। पैरोकारों को दिनाँकवार एवं मुकदमावार डायरी तैयार करने हेतु, एक्शन प्लान माननीय हाइकोर्ट के निर्देशन में पैरवी हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राजकरन सिंह,क्षेत्राधिकारी लाइन्स/यातायात श्री राज कमल तथा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ला,वाचक पुलिस अधीक्षक श्री पारितोष दीक्षित एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।